

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-2/एल-163/2025-

/स्वा०, पटना, दिनांक: / / 2026

डा० पारूल उपाध्याय, तत्कालीन विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(ई०एन०टी०), अनुमंडलीय अस्पताल, महाराजगंज, सिवान सम्प्रति सीनियर रजिडेंट, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को दिनांक 17.10.2025 से 17.04.2026 तक कुल 183(एक सौ तिरासी) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्राक-997(25), दिनांक 11.05.2026 एवं वित्त विभाग के पत्रांक-9889, दिनांक 01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. उक्त अवकाश को घटाने के पश्चात डा० उपाध्याय को कुल 547(पाँच सौ सैंतालीस) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल-163/2025- 1942(2) पटना, दिनांक 11 / 8 / 2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिवान/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, महाराजगंज, सिवान/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० पारूल उपाध्याय, तत्कालीन विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(ई०एन०टी०), अनुमंडलीय अस्पताल, महाराजगंज, सिवान सम्प्रति सीनियर रजिडेंट, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9ए, 9बी, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।